

~~8/4 HP 193/17 R.O~~

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रारूप-2क)

(दखें नियम-4)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन..... 34 क्षेत्र (21-5710)

नीचे भाग-I या भाग-II, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-I

(मान्यत प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग
सं-..... में क्रम सं-..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान
सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं-..... में क्रम सं-.....
पर प्रविष्ट है।

तारीख.....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि लोक सभा के निर्वाचन के लिए 34 लालाराम (310 गु) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम..... सुरेन्द्र कुमार

पिता/माता/प्रति का नाम रमेश कुमार

उसका डाक पता ३५-परिवार पोखरा नवाज़ कुदूर कोक्स

उसका नाम ३५ लालाराम (केंद्रीय) (१०५ मोटिपा ३० गु) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र* (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं- 231 में क्रम सं- ८७५ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर :-

क्रम सं	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्या	घटक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्या	उस भाग में क्रम सं	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तरीख
1	2	3	4	5	6		7
2	१०५ मोटिपा	२२२	१३८	१०५ जोगा युआर गुरुजोकुलारसिंह	१४.३.१४		
3	१०५ मोटिपा	२१५	५१२	मोटिपा गुरुज	मनोज सिंह		"
4	१०५ मोटिपा	२३१	१३३६	मोटिपा गुरुज	संदीप कुमार		"
5	१०५ मोटिपा	२३०	६९८	१०५ ताम राम	दिल्ला भद्रम		"
6	१०५ मोटिपा	२३१	७७८	१०५ ताम राम	मनमन राम		"
7	१०५ मोटिपा	२३१	८५६	१०५ ताम राम	मनवर रामराम		"
8	१०५ मोटिपा	२३१	८६५	१०५ ताम राम	जगत		"
9	१०५ मोटिपा	२३१	८७८	१०५ ताम राम	जगत		"
10	१०५ मोटिपा	२३१	८९६	१०५ ताम राम	भारतप्रभाम		"
11	१०५ मोटिपा	२३१	९०९	१०५ ताम राम			"

कृपा ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं-एस0ओ0558 (ई0) दिनांक 09.08.96 द्वारा प्रतिस्थापित

L.T.J

१०५ गु

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग—III

मैं, भाग—I/भाग-II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 39 वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
(नीचे ख (I) या ख (II) में से जो लागू न हो उसे काट दें)

या

(ख) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो इस राज्य में
मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(II) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो राजस्त्रीकृत
अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) और
मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (I) (II) (III)
है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देखा जाए (भाशा के नाम) में सही रूप
से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और वि वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ
और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं प्रेस राज्य के उस राज्य में के **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए एक साथ निर्वाचन कराए जा रहे आम
निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में *** नामनिर्दिशित किया गया है और
न ही किया जाएगा।

तारीख 18/31/2014

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

‘जम्मू-कश्मीर, अंदमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में “मैं
समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र” शब्दों को काट दें।

+ यदि लागू न हो तो इस कंडिका को काट दें।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

** लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

@ जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की
दशा में लागू नहीं होगा।

“मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल” से अभिप्रेत है निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग
द्वारा संबंध राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

‘लागू न होने वाले शब्दों को काट दें

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग—III (क)

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को —

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा—8 की
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिश्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हाँ / नहीं

✓ 787

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर “हाँ” मे है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) वाद/प्राथमिकी संख्या.....
- (ii) थाना(थाने).....जिला(जिले).....
- राज्य
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस/उन अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।.....
- (iv) सिद्धदोष ठहराए जाने की तारीख (तारीखें)
- (v) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय.....
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास की अवधि और/या जुर्माने की रकम का उल्लेख करें.....
- vii) कारावास से विमुक्ति की तारीख(तारीखें).....
- (viii) क्या उपर्युक्त सिद्धदोष (सिद्धदोषों) के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण आवेदन दायर की गई थी.....
हाँ / नहीं
- (ix) दायर किए गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण—आवेदन(आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ.....
- (x) उस न्यायालय(न्यायालयों) के नाम जिसके/जिनके समक्ष अपील/पुनरीक्षण —आवेदन दायर किए हों.....
- (xi) क्या उक्त अपील/पुनरीक्षण—आवेदन(आवेदनों) का निष्पादन हो गया है/अभी लंबित है.....
- (xii) यदि उक्त अपील/पुनरीक्षण—आवेदन निष्पादित हो गए हो तो—?
- (क) निष्पादन की तारीख(तारीखें).....
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का स्वरूप:.....

स्थान:

तारीख: 181 31 2014
C:\Users\hcl\Desktop\deepak election 2014\nomination paper.docx

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

भाग-IV

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन—पत्र का क्रमांक.....8-HP / 1. 40 PM / RD
यह नामनिर्देशन—पत्र मुझे / मेरे कार्यालय में.....18.3.14 (तारीख) को.....11.40 AM (बजे)
अन्यथा / प्रस्थानक द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख.....18.3.14

[Signature] रिटर्निंग आफिसर

*लागु न होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग- V

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का
विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर